**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. 397

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद**

**397. श्री राम कुमार कश्यप:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर के विद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केवल हरियाणा में ही 30,000 अध्यापकों के पद रिक्त हैं और 800 से भी अधिक विद्यालय बगैर प्रधानाचार्यों के कार्य कर रहे हैं;

(ग) अध्यापकों के सभी रिक्त पड़े पदों को भरे जाने हेतु सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है, ताकि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जा सके; और

(घ) क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के अनुपात तथा महंगी उच्चतर शिक्षा भी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| स्तर | शिक्षकों के संस्वीकृत पद | कार्यरत शिक्षक | शिक्षकों के रिक्‍त पद |
| प्राथमिक | 5103539 | 4203223 | 900316 |
| माध्यमिक | 685895 | 578206 | 107689 |

(ख): हरियाणा राज्य में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्‍त पद निम्नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| शिक्षक/प्रधानाचार्य | संस्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
| शिक्षक | 112368 | 84128 | 28240 |
| प्रधानाचार्य | 4013 | 2666 | 1347 |

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त, एडब्ल्यूपीएंडबी 2018-19

(ग): शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के नाते, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और नियुक्ति राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) सरकार के अधिकारक्षेत्र में आते हैं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से शिक्षकों के रिक्‍त पद भरने और उनकी सुसंगत नियुक्ति हेतु अनुरोध करता रहा है, जिसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार, केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्कूली स्तरों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता है।

(घ) केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा समेकित योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूल छोड़ने के अनुपात को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत, महत्त्वपूर्ण कार्य, स्कूल अवसंरचना और सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, बस्तियों में उन बच्चों के लिए ऐसे आवासीय छात्रावास भवन जो नियमित स्कूलों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान किये जाने, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण और बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और स्कूल यूनिफार्म के लिए प्रावधान शामिल है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए आवासीय उच्चतर प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रावधान करता है। स्कूलों में बच्चों को बनाए रखने और नामांकन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से मध्‍याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

**\*\*\*\*\***